| दिनांक 16.12.2025 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 30/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कांधला</u>**

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.12.2025 को थाना कांधला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जसाला–आल्दी मार्ग पर फतेहपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुशील घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कांधला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–सुशील निवासी ग्राम बधैव थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

**कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार**

**• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.12.2025 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहता नहर ओम साई रिसोर्ट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त पवन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–पवन निवासी सदपुरा दांत नगर थाना इरादत नगर आगरा।

**जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर**

**• 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 16.12.2025 को थाना खुर्जानगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अगवाल कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रफीक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना खुर्जा नगर पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रफीक निवासी गौमत थाना खैर जनपद बुलन्दशहर।

- **जनपद सुलतानपुर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुरेश 2–अनूप कुमार 3–अरूण को सश्रम आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना खैराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/404 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुऐब 2–शाजान 3–कुल्लू को आजीवन कारावास व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कानपुर देहात/थाना रसूलाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाष को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(1)/149/147 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त 1–शेषनाथ 2–अभिमन्यु 3–रामबेलास 4–प्रदुम्म कुमार को 10–10 वर्ष के कारावास व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उस्मान को 10 वर्ष के कारावास व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————